न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 94/2012 **दायरा दिनांक : 02.02.2012**

उनवान

ख्वाजू खां आत्मज भूरे खां, जाति मेवाती मुसलमान, निवासी बासखेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड राजस्थान मृतक ख्वाजू खां वारिसान फकीर खां आत्मज उमराव खां, जाति मेवाती मुसलमान, निवासी बांसखेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— रामनाथ आत्मज कन्हैया लाल, जाति लुहार, निवासी बासखेडी, (मृतक) निवासी बासंखेडी मेवातियान, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड कायम मुकमान :—

1/1— राधेश्याम आत्मज रामनाथ, जाति लुहार, निवासी बासंखेडी मेवातियान, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

1/2— भैरू लाल आत्मज रामनाथ, जाति लुहार, निवासी बासंखेडी मेवातियान, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

1/3— रमेशचन्द्र आत्मज रामनाथ, जाति लुहार, निवासी बासंखेडी मेवातियान, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

1/4— ओम प्रकाश पुत्र रामनाथ, जाति लुहार, निवासी बासंखेडी मेवातियान, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

1/5— लीला बाई पत्नी रामनाथ, जाति लुहार, निवासी बासंखेडी मेवातियान, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

1/6— कान्ति बाई पुत्री रामनाथ, जाति लुहार, निवासी बासंखेडी मेवातियान, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

1/7— कल्याण बाई पुत्री रामनाथ, जाति लुहार, निवासी बासंखेडी मेवातियान, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

1/8— गुडडी बाई पुत्री रामनाथ, जाति लुहार, निवासी बासंखेडी मेवातियान, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

1/9— हरकू बाई पत्नी रामनाथ, जाति लुहार, निवासी बासंखेडी मेवातियान, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

2— गुलाब बाई

3— बतूल बाई

4— खुसर बाई बेवा रहमान खां

5— मंगू पत्नी रहमान खां मेवातियान, निवासी बांसखेडी मेवातियान, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

नाबालिगान वली माता गुलाब बाई बेवा ख्वाजू खां मेवाती, निवासी बांसखेडी मेवातियान, जिला झालावाड

6— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मनोहरथाना

7— उप पंजीयक मनोहरथाना जिला झालावाड

8— राजस्थान सरकार जरिये उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री अमर सिंह लववंशी अभिभाषक अपीलांट

की ओर से

श्री संजय सक्सेना अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 11.01.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 1853/98 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2000 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने अपीलांट एवं अन्य के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि ग्राम बांसखेडा, तहसील मनोहरथाना में खतौनी संख्या 40 की कुल 9 किता की 41 बीघा 17 बिस्वा आराजी सैटलमेंट से पूर्व प्रतिवादी नम्बर 1 ख्वाजू खां के तन्हा खाते में दर्ज थी । वादी ने इसमें से खसरा नम्बर 2271/240 की 2 बीघा 11 बिस्वा और खसरा नम्बर 2247/581 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा कुल 2 किता की 5 बीघा 13 बिस्वा आराजी जरिये रजिस्टर्ड बयनामा क्रय की थी तब से उस पर कब्जा वादी का चला आ रहा है । डीड राईटर की गलती से खरीदशुदा खसरा नम्बर 2247/581 की 3 बीघा 2 बिस्वा की जगह खसरा नम्बर 2247/240 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा अंकित कर दिया है । ख्वाजू खां के खाते में खसरा नम्बर 2247/240 दर्ज नहीं थी । सैटलमेंट विभाग ने खसरा नम्बर 2247/581 का नया नम्बर 893 रकबा 3 बीघा कायम किया है । रजिस्टर्ड बयनामे एवं कब्जा मुखालफाने के आधार पर वादी खातेदार घोषित होने का अधिकारी है । अतः दावा वादी स्वीकार कर वादी को हाल खसरा नम्बर 893 का खातेदार कृषक घोषित किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30.06.2000 से दावा वादी डिक्री किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी मृतक खातेदार ख्वाजू खां की थी उनके भाई उमराव खान था । उमराव खां फोत हो चुका है उनके 4 लडके व 2 लडकियां है जिनमें से एक अपीलांट है । न्यायालय में तथ्यों को छुपाकर दावा पेश किया है । पक्षकारान के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई है । अपीलांट एवं उनके परिजनों को निर्णय की जानकारी नहीं हो पायी । अपीलांट के पिता का नाम दर्ज नहीं हुआ क्योंकि रेस्पोडेंट के पिता बडे थे व अपीलांट के पिता नाबालिग थे । दोनों सगे भाई थे । बंटवारा 1/2 होना चाहिए इस कारण निर्णय निरस्त होने योग्य है । निर्णय की जानकारी दिनांक 06.02.2011 को हुई जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 06.02.2011 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में एक तरफा कार्यवाही की गई है । अपीलांट को सुनवायी का अवसर नहीं दिया गया है । अतः न्यायहित में अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलांट को जवाबदेही का अवसर प्रदान किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपील गम्भीर रूप से अवधि बाधित है । विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया है । धारा 96 का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है । अपीलांट ख्वाजू खां के विधिक वारिस नहीं है । उन्हें अपील पेश करने का अधिकार नहीं है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने नकल जमाबंदी एक्जीविट पी 1 सम्वत 2014–17 सलंग्न है जिसमें वादग्रस्त आराजी ख्वाजू खां के खाते में दर्ज है । एक्जीविट पी 2 विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति है । एक्जीविट पी 3 मिलान क्षेत्रफल की नकल है । एक्जीविट पी 4 व पी 5 खसरा गिरदावरी की नकले हैं । एक्जीविट पी 6 नकल जमाबंदी सम्वत 2050–53 है । इसके अलावा पत्रावली पर बयान रामनाथ पी डब्ल्यू 1, हजारी पी डब्ल्यू 2 कराये गये हैं । अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई है ।

अपील ख्वाजू खां के वारिस के रूप में फकीर खां आत्मज उमरावजान ने पेश की है । अपील 12 वर्ष बाद पेश की गई है जो गम्भीर रूप से अवधि बाधित है । अपील के बिन्दु संख्या 2 में यह अंकित है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार ख्वाजू खां थे और अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर जो राजस्व रेकार्ड की फोटो प्रति सलंग्न है उसमें भी खातेदार तन्हा रूप से ख्वाजू खां है । अपीलांट स्वयं को उमरावजान का पुत्र बताते हैं और उमराव खां को ख्वाजू खां का भाई बताते हैं । साथ ही यह भी अंकित कर रहे हैं कि उमराव खां के 4 लडके और 2 लडकी है जिनमें से एक अपीलांट है । अपीलांट ने न तो 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र पेश किया है और न ही यह अंकित किया है कि ख्वाजू खां के कोई विधिक वारिस मौजूद है अथवा नहीं । अपील में रेस्पोडेंट नम्बर 2 गुलाब बाई को बनाया है और

रेस्पोडेंट नम्बर 5 को नाबालिग बताते हुए वलि गुलाब बाई बेवा ख्वाजू खां अंकित किया है । यदि ख्वाजू खां के वारिस उनकी बेवा मौजूद है तो अपील पेश करने का अधिकार अपीलांट को नहीं वरन ख्वाजू खां के वारिसान को है । यदि ख्वाजू खां के विधिक वारिस उनकी बेवा एवं पुत्री मौजूद है तो अपीलांट को ख्वाजू खां की ओर से अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वादग्रस्त आराजी ख्वाजू खां के तन्हा खाते में थी । अपीलांट के पिता उसमें सहखातेदार नहीं थे । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपील गम्भीर रूप से अवधि बाधित है और विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया गया है ।

इन समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट मेंटेनेबल नहीं होने और गम्भीर रूप से अवधि बाधित होने के कारण खारिज की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा